

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 3816

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में किसान कॉल सेंटर

3816. श्री मलैयारासन डी.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में कार्यरत किसान कॉल सेंटर (केसीसी) की विशेषताएं क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इन केंद्रों के माध्यम से किसानों द्वारा चर्चा किए जाने वाले कृषि विषयों और चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में और विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में, किसानों के लिए किसान कॉल सेंटरों तक पहुँच सुनिश्चित करने और स्थानीय भाषाओं में सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तमिलनाडु में फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, सरकारी योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान और बाजार मूल्यों के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करने में किसान कॉल सेंटरों की भूमिका क्या है;

(ङ) तमिलनाडु में किसान कॉल सेंटरों के संचालन के लिए वित्तीय आवंटन कितना है और इन केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का तमिलनाडु राज्य में किसानों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने में और भी सहायता करने के लिए किसान कॉल सेंटर सेवाओं का विस्तार करने या संवर्धन करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिनांक 21 जनवरी, 2004 से किसानों की विभिन्न कृषि संबंधी समस्याओं, पद्धतियों के पैकेज, मौसम और बाजार संबंधी परामर्शिका, सरकारी योजनाओं आदि से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर (के.सी.सी.) संचालित कर रहा है। यह सुविधा टेलीफोन द्वारा उनकी अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में के.सी.सी. देश के 17 विभिन्न स्थानों पर संचालित हैं, जो तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं। किसान कॉल सेंटर के लिए एक सामान्य देशव्यापी ग्यारह अंकों का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। इस नंबर पर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के

मोबाइल फोन और लैंडलाइन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। तमिलनाडु के किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर में एक (01) किसान कॉल सेंटर (के.सी.सी.) स्थित है।

(ख): मौसम, पौध संरक्षण, कृषि पद्धतियां, पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियां, जल प्रबंधन, उर्वरक उपयोग, खरपतवार प्रबंधन, फसल किस्में, बुवाई का समय आदि के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, बाजार मूल्यों आदि से संबंधित किसानों के प्रश्नों का समाधान किसान कॉल सेंटरों के माध्यम से किया जाता है।

(ग): तमिलनाडु के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के किसानों तक पहुँचने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल और लैंडलाइन फोन पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया, जन-संचार माध्यमों आदि के माध्यम से टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 और किसान कॉल सेंटर सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पहल की गई है। तमिलनाडु के किसानों के प्रश्नों के उत्तर स्थानीय भाषा, जैसे कि तमिल में दिए जाते हैं।

(घ): किसानों के कॉल कृषि एवं संबद्ध विषयों के स्नातकों द्वारा सुने जाते हैं, जिन्हें के.सी.सी. में तैनात किया जाता है और जिन्हें फार्म टेली अडवाइजर (एफ.टी.ए.) एवं सुपरवाइजर कहा जाता है। ये तमिलनाडु के किसानों को फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, सरकारी योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान और बाजार मूल्यों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं।

(ङ): किसान कॉल सेंटर एक केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम है जो एक सेवा प्रदाता के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर चलाया जाता है। प्रत्येक किसान कॉल सेंटर के लिए अलग से कोई वित्तीय आवंटन नहीं है।

(च): तमिलनाडु का मौजूदा किसान कॉल सेंटर, किसानों की जरूरतों को पूरा कर रहा है और इसके पास उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि में नवीनतम तकनीकों के बारे में सीधा खेतों से जानकारी प्रदान करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, फोटोग्राफ आदि साझा करने की उन्नत सुविधाएं हैं।
